FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0021 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/01/2026 15:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/09/2022 **Date To (दिनांक तक):** 19/09/2022

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 20:20 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/01/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/01/2026 15:32:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUKUL SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURESH SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 30/03/1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	251 , Vishwakarma Nagar 1, Maharani Farm, SHIPRA PATH, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	251 , Vishwakarma Nagar 1, Maharani Farm, SHIPRA PATH, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH CHAND JATAV		पिता:KALLARAM JATAV	1. 19-20,MADHU NAGAR SOGARIYA,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	इक्कतीश लाख पैंतीस हजार चार सो अठ्ठाहर रूपये व बाहसठ पैसे	31,35,419.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 31,35,419.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनाकं 16.09.2022 को श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो एसयू कोटा द्वारा आरोपी के रिहाययशी मकान न. 19-20 मधुनगर सोगरिया कोटा की खाना तलाशी नियमानुसार ली गई खाना तलाशी के दोरान आरोपी की पत्नी स्नेहलता के नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड आरोपी के नाम एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड एंव पत्नि के नाम यू.को बैंक के पेन कार्ड की फोटप्रतिया, मधुनगर भुखण्ड संख्या 20 की निर्माण स्वीकृति की फोटोप्रतियां , स्वंय के पुत्र भानु के नाम तीन एलआईसी पोलिसियो की फोटोप्रतियाँ , पंजाब नेशनल बैंक की डीडी यू के वाई 596605 की फोटोप्रति , चेक संख्या की फोटोप्रतिया , आरोपी की पत्नि द्वारा वर्ष 2015 से 2018 तक होटल चित्रकुट मे किये गये केटरिन कार्य से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, भूखण्ड संख्य 19,20 के इरारनामा की फोटोप्रतियां जाँच हेतु कब्जे ब्यूरो लिये गये । खाना तलाशी के दोरान आरोपी के मकान से 66,000 रुपये नगद मिले है जिनके बारे मे आरोपी की पत्नि द्वारा ग्रह खर्च एंव बच्चो की पढाई के लिए होना बताने से वापस श्रीमती स्नेहलता को खाना तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा वापस लोटा दिये गये । श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी के मकान की खाना तलाशी रिपोर्ट श्री धर्मवीर सिहं पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द की गई । उप अधीक्षक पुलिस द्वारा खाना तलाशी की जाँच शुरु की गई दोराने जाँच आरोपी मुकेशचन्द जाटव की प्रथम नियुक्ति दिनाकं 19.04.2006 से 12.04.2010 तक की जी ए 55 की प्रमाणित फोटोप्रतियां पूर्व तट रेलवे बालतेरु एंव दिनाकं 16.04.2010 से 16.04.2015 तक की पश्चिम रेल्वें जबलपुर व दिनाकं 03.07.2015 से ट्रेप दिनाकं 16.09.2022 तक की जीए 55 की प्रमाणित प्रतिया पश्चिम मध्य रेलवे कोटा से प्राप्त की गई, एसबीआई बैंक के खाता सं के बैंक स्टेट बैंक की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की गई, यु.को बैंक के खाता स. जो आरोपी की पत्नि स्नेहलता के नाम था के बैंक डिटेल की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की गई । मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) प.म.र. कोटा से आरोपी द्वारा प्लाट न. 20 को क्रय करने एंव 15 लाख का निर्माण करवाने की स्वीकृति प्राप्त की गई , उप पजीयंन प्रथम कोटा द्वारा भूखण्ड स. 19-20 की मधुनगर सोगरिया के नाम कोई डीएलसी निर्धारित नही होने के कारण सोगरिया की बाजार दर उपलब्ध करवाई गई । सोगरिया के बाजार दर के आधार पर आरोपी के भूखण्ड स. 19-20 की दरे निर्धारित की गई । अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत कोटा से दोनो भूखण्डो पर करवाये गये निर्माण का मुल्याकंन करवाया जाकर मुल्याकंन रिपोर्ट प्राप्त की गई । आरोपी एंव पुत्र भानू के नाम जीवन बीमा पोलिसी का रिकार्ड प्राप्त किया गया। आरोपी के बडे पुत्र भानूप्रताप व पुत्री खुसबु सिहं एंव प्रशान्त कुमार सिहं की शिक्षा पर हुए खर्च के सबंधं मे स्कूलो से रिकार्ड प्राप्त किये गये । खाना तलाशी के दोरान आरोपी के रिहायशी मकान पर मिली पुरानी कार अल्टो न.एममी 20 सीडी 2096 के प्राप्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो उक्त वाहन श्री विरेन्द्र प्रसाद सोनी द्वारा श्रीमती स्नेहलता को विक्रय करने पर श्रीमती स्नेहलता पुत्री श्री लखपत सिहं के नाम दिनाकं 16.01.2015 को जबलपुर से स्थानान्तरित होना पाया गया । आरोपी द्वारा उक्त कार खरिदने हेतु अपने ससुर से 3 लाख रुपये लेना बताया, किन्तु आरोपी द्वारा 3 लाख रुपये नगद अपने ससुर से कार खरिदने हेतु प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये । इसलिए आरोपी के ससुर द्वारा अपनी पुत्री को पुरानी कार खरिदने हेतु 3 लाख रुपये नगद देना नही माना गया है। आरोपी द्वारा अपनी पत्नि स्नेहलता होटल चित्रकुट मे वर्ष 2015 से 2018 तक 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुकिगं कार्य करने से 4,32,000 रुपये आय होना बताया, इस सम्बन्ध मे होटल मैनेजर से हाजरी रजिस्टर , लेजर बुक एंव बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये गये । इसलिए उक्त आय जो मानने योग्य नही होने से आरोपी की आय मे नही जोडा गया। क्रय वर्ष 2015 से 16.09.2022 तक अनुमानित 500 किलोमीटर प्रतिमाह चलने के हिसाब से वर्ष 2015 से सितम्बर 2022 तक कुल 57 माह मे 28500 किलोमीटर चलना मानते हुए फ्यूल खर्च 1,28,250 रुपये एंव गाडी की सर्विस पर अनुमानित सालाना 10,000 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये मानते हुए कुल 208250 रुपये खर्च सम्बन्धी प्रपत्र मे जोडा गया । खाना तलाशी के दौरान आरोपी की पत्नि स्नेहलता द्वारा मुकेशचन्द जाटव के नाम राशि 500000 दिनाकं 22.07.2020 का भरा हुआ मिला था जिसके बारे मे जानकारी की तो आरोपी ने मूल चेक कार्यालय मे लाकर पेश किया उक्त चेक बैंक मे जमा नही करवाया गया था । चेक को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण जाँच, प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन व गोपनीय जानकारी से

निम्न तथ्य स्पष्ट हुए है । श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सैंक्शन इंजीनियर की आम शोहरतः- आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव की आम शोहरत एक भ्रष्ट अधिकारी के रुप मे रही है। आरोपी अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल के दोरान वर्ष 2006 के बाद के सेवा काल विभिन्न स्थानो पर पदस्थापित रहते हुए काफी भ्रष्ट्राचार किये जो उसके द्वारा वर्ष 2006 के बाद अर्जित सम्पति / खर्च सम्बन्धी निम्नांकित विवरणो से स्पष्ट है। श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सैंक्शन इन्जनियर की पारिवारिक पृष्ठ भूमिः- आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव दो भाई है। आरोपी का बडा भाई कमल सिहं ठेकेदारी का कार्य करता है आरोपी द्वारा पेश खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी के अवलोकन से पाया गया आरोपी के पिता श्री कल्लाराम जाटव के नाम गांव रेवई जिला करोली मे 9400 है.8300 भूमि मे से 25/2 हिस्सा अर्थात करीब 1 बीघा जमीन है। आरोपी स्वंय रेलवे मे सैक्शन इन्जनियर के पद पर कार्यरत है वर्तमान मे आरोपी के पिता की मृत्यु हो चुकी है किन्तु अभी दोनो भाईयो के नाम अन्तकाल नही खुलवाया गया है, आरोपी द्वारा नोकरी मे आने के पश्चात मधुनगर सोगरिया मे भूखण्ड संख्या 19 जो 1750 वर्ग फुट का है जिसे आरोपी ने अपनी पत्नि स्नेहलता के नाम से खरीदा तथा भूखण्ड संख्या 20 जो 1500 वर्ग फुट का है जिसे आरोपी ने स्वंय के नाम से खरीदा है तथा दोनो भूखण्डो पर मकान निर्माण करवाया है । आरोपी को सेवा काल मे आने से पूर्व या पश्चात परिवारजन से किसी प्रकार की पैतृक सम्पति प्राप्त नही हुई है ना ही पैतृक सम्पति से कोई आय हुई है । आरोपी द्वारा अपने सेवा काल के दोरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित साधनो से अवैध आय अर्जित कर स्वयं के व अपनी पत्नि स्नेहलता के नाम परिसम्पतियाँ व वाहन क्रय किया गया। मकान की खाना तलाशी के दोरान आरोपी की पत्नि स्नेहलता के नाम यु.को बैंक केन्द्रिय विद्धायल के पास खाता संख्या के स्टेटमेन्ट का अवलोकन किया गया तो दिनाकं 19.07.2022 लाखो मे राशि जमा होना व निकालना पाया गया है जबकि आरोपी की पत्नि गृहणी कोई कार्य या बिजनिस नही करती है इसलिए उक्त खाते मे लेन-देन के सम्बन्ध मे विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है । आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वर्ष 2006 मे रेल्वे विभाग मे सैंक्शन इन्जनियर के पद पर पदस्थापित हुआ था दिनाकं 16.09.2022 को पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा मे वरिष्ठ सैंक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत था जिसका सेवा काल के दोरान अप्रेल 2006 से सितम्बर 2022 तक सकल वेतन मे से इन्कमटेक्स कटौती के बाद सकल आय 9411403 रुपये है तथा सकल वेतन मे से विभिन्न कटोतियो के पश्चात शुद्ध आय 7502731 रुपये बतौर वेतन प्राप्त किया है। आरोपी के पास रेल्वे सेवा मे आते समय वेतन के अलावा अन्य कोई स्त्रोत नही था आरोपी द्वारा रेल्वे सेवा मे पद स्थापन के बाद अवैध साधनो से आय अर्जित करते हुए स्वंय व पत्नि के नाम चल व अचल सम्पतियां क्रय की गई जबकि आरोपी की पत्नि स्नेहलता गृहणी है जिसका पृथक से आय का कोई जरीया नही है । आरोपी मुकेशचन्द जाटव द्वारा रेल्वे सेवा मे आने के पश्चात अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित साधनो द्वारा अवैध आय अर्जित कर स्वंय व अपनी पत्नि के नाम चल व अचल सम्पति क्रय की गई। आरोपी की ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय, खर्च व परिसम्पतियो का विवरण निम्न प्रकार है । चैक पीरेड (19.04.2006 से 16.09.2022 तक) की अवधि मे एस.ओ.की शुद्ध आय का विवरण -

क्र.स.	आय का शीर्षक	आय प्राप्ति की दिनांक / वर्ष	किसके द्वारा आय अर्जित की गई / आरोपी से सम्बन्ध	शुद्ध आय की राशि
1	एस.ओ.श्री मुकेशचन्द जाटव की दिनाकं 19.04.2006 से दिनाकं 16.09.2022 तक वेतन से प्राप्त शुद्ध आय मुताबिक जी.ए.55 अनुसार	दिनाकं 19.04.2006 से 16.09.2022 तक	आरोपी के वेतन से अर्जित आय	7502731
2	आरोपी को एलआईसी नम्बर 195642104 से प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार	दिनाकं 18.11.2011 से 05.05.2022 तक	आरोपी की एलआईसी से प्राप्त ब्याज	2,00000/-
3	आरोपी की पत्नि स्नेहलता द्वारा स्वंय जेठ श्री कमल सिहं से जरीये ड्राप्ट संख्या 679283 से उधार ली गई राशि मुताबिक बैंक स्टेटमेन्ट	15.11.2019	आरोपी की पत्नि द्वारा जेठ से उधार ली गई राशि	1,50,000/-
4	आरोपी द्वारा अपने बडे भाई कमल सिहं से जरीये चेक संख्या 679284 से उधार ली गई राशि मुताबिक बैंक स्टेटमेन्ट	25.01.2018	आरोपी द्वारा अपने भाई से उधार ली गई राशि	2,00000 रुपये
5	आरोपी के ससुर द्वारा आरोपी को सगाई के समय उपहार स्वरुप दी गई नगद राशि आरोपी द्वारा प्रस्तुत फोटो अनुसार	2007	आरोपी को सगाई के समय ससुर द्वारा उपहार स्वरुप राशि	5,00000/-
6	आरोपी के ससुर द्वारा आरोपी की शादी के समय जरीये ड्राप्ट संख्या 0424228623 बैंक डायरी मे इन्द्राज अनुसार	2007	आरोपी को शादी के समय ससुर द्वारा उपहार स्वरुप राशि	5,00000/-
7	आरोपी द्वारा जक्शन काँपरेट्व सोसायटी एम्लोईज वेस्टर्न रेल्वे लिमिटेड कोटा से लिया गया लोन स्टेटमेन्ट अनुसार	19.03.2018	आरोपी स्वंय द्वारा लिया गया लोन	5,00000/-
			कुल योग-	95,52,731 /-

इस प्रकार आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव को अपने वेतन से दिनाकं 19.04.2006 से 16.09.2022 तक तक बाद कटोतियो के शुद्ध वेतन के रुप मे 7502731 रुपये एलआईसी से प्राप्त ब्याज 2,00000 रुपये, आरोपी की पत्नि स्नेहलता द्वारा अपने जेठ कमल सिहं से जरीये ड्राप्ट उधार ली गई राशि 1,50,000 रुपये , आरोपी द्वारा अपने बडे भाई कमल सिहं से जरीये चेक उधार ली गई राशि 2,00000, आरोपी को सगाई के समय उपहार स्वरुप उसके ससुर द्वारा दी गई नगद राशि 5,00000 रुपये आरोपी को शादी के समय जरीये ड्राप्ट उसके ससुर द्वारा उपहार स्वरुप दी गई राशि 5,00000 रुपये एंव आरोपी द्वारा जक्शन काँपरेटिव सोसायटी एम्लोईज वेस्टर्न रेल्वे लिमिटेड कोटा से लिया गया लोन राशि 5,00000 रुपये प्राप्त किये

है। अर्थात आरोपी की कुल आय 95,52,731 रुपये होना पाई गई है।
चैक पीरेड (1.04.2006 से 16.09.2022 तक) के अन्त मे मौजुद परिसम्पतियो का विवरण
क्र.स. परिसम्पत्ति का विवरण खरीदने/निवेश दिनाकं /वर्ष किसके नाम खरीदी गई/ आरोपी से सम्बन्ध परिसम्पत्ति का मूल्य
1 प्लाट संख्या 19 मधुनगर सोगरिया कोटा साईज 35X50 कुल 1750 फुट मुताबिक उप पंजीयक प्रथम द्वारा उपलब्ध कराई गई सोगरिया कोटा की बाजार दर अनुसार वर्ष 2016 श्रीमती स्नेहलता के नाम जो आरोपी की पत्नि है 9,87,000/-
2 प्लाट संख्या 20 मधुनगर सोगरिया कोटा साईज 30X50 कुल 1500 फुट मुताबिक उप पंजीयक प्रथम द्वारा उपलब्ध कराई गई सोगरिया कोटा की बाजार दर अनुसार वर्ष 2018 आरोपी स्वंय द्वारा 8,46,000/-
3 आरोपी द्वारा उक्त दोनो भूखण्डो पर वर्ष 2018 एंव 2020 मे निर्माण पर किया गया खर्च मुताबिक सा.नि.वि. वृ कोटा के मुल्याकंन रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2018 एंव 2020 आरोपी स्वंय व पत्नि के नाम 55,88,869.62/-
4 खाना तलाशी के दोरान आरोपी के मकान से मिली नगद राशि 16.09.2022 खाना तलाशी के दोरान आरोपी के मकान से मिली राशि 66,000/-
5 आरोपी के एसबीआई बैंक खाता सख्या 30348070901 मे दिनाकं 16.09.2022 को मिली जमा राशि 16.09.2022 आरोपी के खाते से 108382/-
6 आरोपी की पत्नि स्नेहलता के यू.को.बैंक खाता सख्या 20020110069813 मे दिनाकं 19.07.2022 को जमा राशि 19.07.2022 आरोपी की पत्नि स्नेहलता के खाते मे 132180/- कुल योगः-77,28,431.62/-इस प्रकार आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव द्वारा अपने सेवा काल मे स्वंय एवं अपनी पत्नि स्नेहलता के नाम अचल सम्पति क्रय की गई है । उपरोक्त सारणी अनुसार ज्ञात सम्पत्तियो का कुल मुल्य 77,28,431.62/- पाया गया है
चैक पीरेड (1.04.2006 से 16.09.2022 तक) की अवधि मे एस.ओ.द्वारा किये गये खर्च का विवरण
क्र.स. खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक / वर्ष किसके द्वारा खर्च किया गया / आरोपी से सम्बन्ध खर्च की राशि
1 रसोई खर्च (असत्यापनीय व्यय)एसओ की सकल आय 9668682/- रुपये मे से इन्कम टेक्स राशि कम करने पर 9411403/- रुपये का 1/3 रसोई खर्च 19.04.2006 से 1609.2022 रसोई खर्च आरोपी एंव परिवार पर 3137134/-
2 आरोपी द्वारा स्वंय के नाम करवाई गई एलआईसी संख्या 195642104 जिसकी सालाना किस्त 18569 रुपये होती है आरोपी द्वारा दिनाकं 28.06.2007 से 28.06.2022 तक उक्त एलआईसी पर किया गया खर्च 28.06.2007 से 28.06.2022 तक आरोपी के स्वंय के नाम 297104/- 3 आरोपी द्वारा स्वंय के नाम करवाई गई एलआईसी संख्या 198818096 जिसकी सालाना किस्त 24020 रुपये होती है आरोपी द्वारा दिनाकं 28.07.2011से 28.07.2022 तक उक्त एलआईसी पर किया गया खर्च 28.07.2011से 28.07.2022 तक आरोपी के स्वयं के नाम 288240/-
4 आरोपी द्वारा अपने पुत्र भानूप्रताप सिहं के नाम करवाई गई एलआईसी संख्या 30333060 जिसकी सालाना किस्त 31590 रुपये है उक्त पाँलिस दिनांक 17.10.2007 को करवाई गई है आरोपी द्वारा ट्रेप कार्यवाही माह तक उक्त पाँलिसी पर किया गया खर्च 17.10.2007 आरोपी के पुत्र भानूप्रताप के नाम 505440/-
5 आरोपी की तीसरी संतान पुत्र प्रशान्त कुमार सिहं की वर्ष 2019 से 2022 तक शिक्षा पर हुआ खर्च मुताबिक प्राचार्य केन्द्रिय विद्धालय नम्बर-2 रेल्वे कोलोनी कोटा वर्ष 2019 से 2022 तक पुत्र प्रशान्त कुमार सिहं की शिक्षा पर किया गया खर्च 26400/- 6 आरोपी द्वारा लिये गये लोन की चुकाई गई किस्ते अगस्त 2020 से अगस्त 2022 तक जमा करवाई गई किस्ते 2020 से अगस्त 2022 तक आरोपी स्वयं द्वारा 479150/-
7 खाना तलाशी के दोरान आरोपी को शादी के समय उपहार मे मिले सामानो के अलावा अन्य सामानो की अनुमानित कीमत 16.09.2022 आरोपी के मकान से 18,000/-
8 खाना तलाशी के दोरान आरोपी के मकान पर मिली अल्टो कार के 10वी.एक्सआई नम्बर एम पी 20 सी.डी. 2096 पर क्रय वर्ष 2015 से दिनाकं 16.09.2022 तक आरोपी द्वारा बताये गये वाहन के किलोमिटर लगभग 7000 पर हुआ अनुमानित पेट्रोल खर्च वर्ष 2015 से दिनाकं 16.09.2022 तक आरोपी की पत्नि स्नेहलता के नाम 2,08,250/- कुल योगः-49,59,718 /-
इस प्रकार आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सैक्शन इंजीनियर द्वारा वर्ष अप्रेल 2006 से ट्रेप कार्यवाही दिनाकं 16.09.2022 से प्राप्त की गई अर्जित सम्पत्ति, आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है –
क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः- शून्य
ख. चैक पिरियड के अन्त मे मौजुद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः-77,28,431.62,/-
ग. चैक पिरियड के दोरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः-(ख-क)- 77,28,431.62
घ. चैक पिरियड के दोरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल खर्च की राशिः- 95,52,731 /-
ङ. चैक पिरियड के दोरान किये गये कुल खर्च की राशिः- 49,59,718 /-
च. चैक पिरियड के दोरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां(गड)-1,26,88,149.62
छ. आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) /31,35,418.62

ज. आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ / घ x 100) 32.82 अधिक पाई गई है ।
इस प्रकार मुकेशचन्द जाटव द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 19.04.2006 से 16.09.2022 तक ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 9552731 रुपये है जबि अर्जित सम्पत्ति का मूल्य 77,28,431.62 रुपये है एवं व्यय राशि 49,59,718 रुपये पाई गई है । अर्थात अर्जित सम्पत्ति तथा व्यय राशि का योग 1,26,88,149.62 रुपये मे से आरोपी की उक्त आय 9552731 रुपये को घटाने पर 31,35,418.62 रुपये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । प्रकरण मे विस्तृत अनुसंधान से आरोपिति अधिकारी उसके पद स्थापन स्थानो व कोटा शहर मे स्वंय व पत्नि के नाम परिसम्पत्तियां क्रय किये जाने के संबधं मे एवं रिश्तेदारो के नाम क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे व अन्य निवेश बाबत गहन अनुसंधान किये जाने पर आय से अधिक सम्पत्ति और बढने की सम्भावना है इस प्रकार आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव वरिष्ठ सैंक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा द्वारा अपने उपरोक्त पदावधि के दोरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने आप को अवैध रुप से साश्य समृद्व किया है तथा अपनी वैद्ध आय के ज्ञात स्त्रोतो से अनुपातिक धनीय संसाधन एंव सम्पत्ति उसके कब्जे मे है जो की धारा 13(1)(ई),13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एंव 13 (1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव पुत्र कल्लाराम जाटव जाति जाटव उम्र 50 साल निवासी प्लाट न. 19-20 मधुनगर सोगरिया कोटा हाल वरिष्ठ सैंक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा के विरुद्ध धारा 13(1)(ई),13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एंव 13 (1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है । (मुकुल शर्मा) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एंव 13 (1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेशचन्द जाटव पुत्र कल्लाराम जाटव, जाति जाटव, उम्र 50 साल, निवासी प्लाट न. 19-20 मधुनगर सोगरिया कोटा हाल वरिष्ठ सैंक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनीष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 326 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 119-22 दिनांक 19-01-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, कोटा रेलवे डिवीजन, कोटा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/01/2026 11:59:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)